भारत सरकार
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलेंड, कोचिन- 682009
Fax: 0484-2668468
Website : www.cochincustoms.gov.in
e-mail : cochincustoms@nic.in
Sevottam compliant

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
CUSTOM HOUSE, W/ISLAND, COCHIN- 682009
टेलीफोन 0484-2666861 to 2666864
Telephone 0484-2666774 / 2666776
Control Room 0484-2666422
An IS 15700 certified Custom House

परिपत्र CIRCULAR. No. 16 / 2016-17

विषय : स्थाई व्यापार सुविधा समिति – दिनांक 31.05.2016 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - संबंधित।

Sub: Permanent Trade Facilitation Committee - Minutes of the meeting held on 31.05.2016 – Reg.

****

स्थायी व्यापार सुविधा समिति की 124वीं बैठक दिनांक 31.05.2016 को 1600 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। डॉ के.एन. राघवन, सीमाशुल्क आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 124th meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 1600 hrs on 31.05.2016 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Dr. K.N. Raghavan, Commissioner of Customs chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे: सर्वश्री/श्रीमती
The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

1. S. Anil Kumar, Addl. Commissioner
2. Aneish P. Rajan, Deputy Commissioner
3. V.Umadevi Dy.Commissioner
4. Jimmy Joseph, Asst. Commissioner
5. Debashish Paul, Asst. Commissioner
6. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
7. Bhuvanachandran P., Scientist 'D', NIC
8. Prasanth K C S., Superintendent of Customs
9. Gomathy G., Superintendent of Customs

व्यापार और व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधि: सर्वश्री:
The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

1. Girish Thomas, Cochin Port Trust
2. D.Iyyanar, Plant Quarantine Station
3. Dr. Jesto George, FSSAI, Cochin
4. Dr. Ashok Kumar, CIFT, Cochin
5. Dr. S. K. Panda, CIFT, Cochin
6. K. Suresh Babu, CFS, CPT
7. Manoj Kumar, CFS, Falcon
8. Nahab M. A., CFS, Falcon
9. V.Veera Raghav, CFS, GDKL
10. M. B. Nandakumar, Cochin Custom House Agents Association
11. Paul Abrao, Cochin Custom House Agents Association
12. Prakash Iyer, Cochin Steamer Agents Association
13. Santhosh Kumar, Cochin Steamer Agents Association

14. Rajeev Ramachandran, Cochin Steamer Agents Association
15. Alex K. Ninan, Sea Food Exporters Association of India
16. N.N. Menon, EPC for EOU and SEZ Unit
17. Abraham Philip, India Chambers of Commerce and Industry
18. Viren Khona, All India Spice Expo Forum
19. Mohammed Rafi, Seafood Exports

आयुक्त महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। पिछली बैठक के कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्रवाई पर विचार किया गया। इसके बाद नए बिंदु उठाए गए।

The Commissioner welcomed the members to the meeting. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points thereon was taken for consideration after which fresh points were taken up.

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई

Action on minutes of last meeting

बिंदु सं. 1 : तस्करी रोधी एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए कंटेनरों को रिलीज करना

Point No.1: RELEASE OF SEIZED CONTAINERS BY ANTI-SMUGGLING AGENCIES

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि जब्त किए गए कंटेनरों को मुक्त करने में देरी का मामला, यदि कोई हो, तो विभाग के ध्यान में लाया जा सकता है।

The Chair informed the members that with regard to the issue of delay in the release of seized containers, if any, could be brought to the notice of the department.

बिंदु सं. 2 : नष्ट करने संबंधी आदेशों पर अमल नहीं किया गया – जगह कम होने के संबंध में

Point No. 2: ORDERS FOR DESTRUCTION NOT BEING HEEDED-LOSS OF SPACE REGARDING

अध्यक्ष महोदय ने राय दी कि सभी सीएफएस कस्टोडियनों को आपस में संपर्क बनाए रखना चाहिए और दोषियों के बारे में सूचना साझा करनी चाहिए ताकि उन्हें अपने अगले कन्साइन्मेंअ के लिए किसी अन्य सीएफएस का उपयोग करने से रोका जा सके।

The chair opined that all CFS custodians should have a tie up and should share information about defaulters to prevent them from using another CFS for their next consignment.

बिंदु सं.3 : काजू के लिए स्रोत देश प्रमाणपत्र – ऑनलाइन सत्यापन संबंधित

Point No. 3: COUNTRY OF ORIGIN CERTIFICATE FOR CASHEW -ONLINE VERIFICATION REGARDING

श्री एन.एन. मेनन ने अध्यक्ष महोदय से पूछा कि स्रोत देश के हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची और हस्ताक्षरों को भारतीय दूतावास द्वारा अनुप्रमाणित करके आयातक द्वारा सीधे प्रस्तुत करने पर क्या इसे स्वीकार किया जाएगा।

Shri. N. N. Menon asked the chair whether it will be accepted if the list of signatories and signatures of the country of origin submitted directly by the importer that is attested by the Indian embassy in the country of origin.

अध्यक्ष महोदय ने जवाब दिया कि हस्ताक्षरकर्ताओं और हस्ताक्षरों की सूची वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से डीजीआरआई को भेजी जानी चाहिए जो इसे सिस्टम में अद्यतन करेंगे, लेकिन जहां माल फंसा हुआ है और उचित माध्यम से हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक समय लगेगा, तो व्यापार सुविधा के भाग के

- *तहत एक विशेष मामले के रूप में आयातक से इसे स्वीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी हस्ताक्षरों के ऑनलाइन पर उपलब्ध होने के बावजूद प्रणाली अभी पूरी तरह से डिजिटल मोड में नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने इसके बाद यह जानना चाहा कि क्या यह समस्या नमूना हस्ताक्षरों के डिजिटल रूप में उपलब्ध न होने या इसप्रकार मिले हस्ताक्षरों के स्क्रीन पर साफ न होने के कारण हो रही है। श्री भुवनचंद्रन, वैज्ञानिक, ईडीआई ने जवाब दिया कि मूल्यनिरूपक की स्क्रीन पर हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय ने उनसे इसकी जांच करने को कहा।*

The chair replied that the list of signatories and signatures should be routed through Commerce ministry to DGRI who will be updating the same in the system, but in cases where the consignment is held up and it will require considerable time through proper channel to obtain the signatures, the same shall be accepted from the importer as a special case, as part of trade facilitation. He said that even though all the signatures should be available online, the system is not fully into the digital mode. He then enquired whether the problem is unavailability of sample signatures digitally or whether these signatures though available are not visible in the screen. Shri. Bhuvanachandran, Scientist, EDI replied that the signatures are not visible in the appraiser's screen. The chair asked him to check the same.

[कार्रवाई : ईडीआई Action: EDI]

<u>चर्चा के लिए उठाए गए नए मुद्दे Fresh Points taken up for discussion.</u>

<u>बिंदु 4 : सीमाशुल्क बंदरगाह में रुकने वाले जहाजों को सीमाशुल्क निकासी जारी करने के लिए प्रलेखन प्रक्रिया की समीक्षा। (कोचिन स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन द्वारा उठाया गया मुद्दा)</u>

<u>Point 4: REVIEW OF DOCUMENTATION PROCESS FOR ISSUANCE OF CUSTOMS CLEARANCE FOR SHIPS CALLING AT CUSTOMS PORT. (Points raised by the Cochin Steamer Agents's Association)</u>

कोचिन स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन ने अध्यक्ष महोदय ने अनुरोध किया कि 'व्यापार करने की सुविधा' के भाग के रूप में कोचिन बंदरगाह में रुकने वाले जहाज़ों को सीमाशुल्क निकासी जारी करने की प्रलेखन प्रक्रिया की समीक्षा करें। उन्होंने सूचित किया कि स्टीमर एजेंट को जहाज़ के रवाना होने के समय से पहले सीमाशुल्क निकासी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ सीमाशुल्क कार्यालय में दायर करने होते हैं।

The Cochin Steamer Agents's Association requested the chair to review the documentation process for issuance of Customs Clearance for Ships calling at Cochin Port., as a part of "ease of doing business". They informed that a steamer agent has to file the below mentioned documents with customs office for obtaining Customs Clearance prior to the sailing time of a Vessel.

1. पी.सी के लिए सहायक आयुक्त को संबोधित स्टीमर एजेंट का अनुरोध पत्र.
   Request letter from Steamer agent addressed to Asst. Commissioner for PC.
2. ई.आर. और आईएलएच की प्रति
   Copy of .ER. & ILH.
3. आई.टी. निकासी
   I. T clearance.
4. एजेंसी की नियुक्ति के संबंध में मास्टर का पत्र
   Masters' letter on agency appointment.
5. समान बोटम कारगो घोषणापत्र।

Same bottom cargo declaration.

6. जहाज़ से सामान्य घोषणापत्र।
   General declaration from vessel.
7. स्वास्थ्य संबंधी समुद्री घोषणापत्र
   Maritime declaration of health
8. पिछले 10 रुकने के स्थान।
   Last 10 ports of call.
9. नाविक दल की सूची
   Crew list.
10. जहाज़ के प्रमाणपत्रों की प्रति (रजिस्ट्री, लोड लाइन, उपकरण सुरक्षा एवं रेडियो सुरक्षा। सीपीटी एवं पीएचओ से मूल निकासी)
    Copy of vessel certificates.(Registry, Load Line, Safety Equipment & safety Radio.Original clearance from CPT.& PHO.)

उन्होंने यह भी सूचित किया कि एस.ओ.पी. के रूप में कोई प्राधिकृत सीमाशुल्क अधिकारी **जहाज़ के लंगर डालने के बाद इस पर चढ़ने के बाद** ही ऊपर कहे गए सभी दस्तावेज़ों (आई.टी. निकासी को छोड़कर) की वैधता की जांच करता है और इन दस्तावेज़ों की वैधता की जांच के बाद ही "जहाज़ के लिए प्रवेश" जारी किया जाता है ताकि जहाज़ कारगो प्रक्रिया शुरू कर सके। उन्होंने इसके अलावा यह भी सूचित किया कि स्टीमर एजेंट समान दस्तावेज़ों को **आईजीएम दायर करते समय** मुख्य सीमाशुल्क के समक्ष दायर करते हैं और दस्तावेज़ों का समान सेट पोर्ट निकासी जारी करने से पहले उनके द्वारा सत्यापन के लिए पोर्ट डी.सी. के कार्यालय में भी प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने इस बात की समीक्षा करने का अनुरोध किया कि क्या जहाज़ के एजेंट द्वारा भारतीय बंदरगाह से "प्रवेश एवं निकासी" प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समान दस्तावेज़ों को लगभग तीन बार प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

They also informed that as an S.O.P. ,an authorized Customs officer verify validity of all the above documents (Except I.T. Clearance) while **boarding the Vessel upon berthing** and only after verification of the validity of these document the "Entry Inwards for the Vessel" is issued so that the Vessel can commence cargo operations. They further informed that the Steamer Agents also file all the identical documents with Main Customs while **filing the IGM** and the same set of documents are also provided at Port D.C.'s office for their verification prior to issuance of Port Clearance. They requested to review whether the Vessel agent is required to furnish all the identical documents almost thrice for completing the "Entry and Clearance" process of a Ship through an Indian Port.

अध्यक्ष महोदय ने उत्तर दिया कि बोर्डिंग अधिकारी को जो भी दस्तावेज़ दिए जाते हैं, उन्हें आई एण्ड बी को अग्रेषित किया जाएगा ताकि दस्त"वेज़ों को पुन: दायर करने से बचा जा सके। उन्होंने स्टीमर एजेंट प्रतिनिधियों को सीमाशुल्क अधिकारियों के साथ बैठकर कौन-से दस्तावेज़ों को सीमाशुल्क के समक्ष दायर किया जाना है और किन दस्तावेज़ों को टाला जा सकता है, इस संबंध में फैसला करने का निर्देश दिया।

The chair replied that whatever documents are handed over to boarding officer will be forwarded to I & B section avoid duplication of documents. He directed representatives of Steamer Agents to sit with officers of Customs and finalise on what documents need to be filed before customs and what and all documents can be avoided.

[कार्रवाई : महा. आयुक्त (पी) Action: AC(P)]

बिंदु 5 : कंटेनर परमिट के तहत उतारे गए कंटेनरों के आयात संबंधी निबंधन एवं शर्तों की पुनरीक्षा करना - (कोचिन स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन द्वारा उठाया गया मुद्दा)

Point 5: TO REVISIT THE TERMS AND CONDITION OF EXPORT OF CONTAINERS LANDED UNDER A CONTAINER PERMIT.- (Point raised by the Cochin Steamer Agents's Association)

सीसीएचएए ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि मौजूदा सीमाशुल्क नियम के अनुसार कंटेनर परमिट के तहत उतारे गए किसी कंटेनर को जहाज़ से उतारने के बाद छह महीने (6 महीने) के भीतर लोड किया जाना आवश्यक है। सीएसएए ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि वे जेएनपी सीमाशुल्क के जेएनपीटी सीमाशुल्क सुविधा नोटिस सं. 68/2016 दिनांक 12.05.2016 के निर्णय की तर्ज पर भरे हुए आयातित कंटेनरों, जो 6 महीने से अधिक समय से सीमाशुल्क निकासी/कारगो की नीलामी की प्रतीक्षा में पड़े हैं, को आयात के समय से 12 महीने तक के अतिरिक्त समय की अनुमति दें।

The CSAA informed the chair that as per the existing Customs rule any container landed under a Container Permit need to be loaded out within Six months (6 Months) of landing of the container from a ship. CSAA requested the chair to consider to grant extension period up to 12 months for laden containers lying beyond 6 months from importation awaiting Customs clearance / auction of cargo in line with the JNP Customs decision vide JNPT Customs Facility Notice NO. 68 / 2016 dated 12-05-2016.

अध्यक्ष महोदय ने उत्तर दिया कि वे पहले से ही आवेदन प्राप्त होने पर लोडिंग के लिए छह महीने से अधिक समय की अतिरिक्त अवधि प्रदान कर रहे हैं और जानना चाहा कि क्या कोई स्थाई आदेश जारी करने की आवश्यकता है। सीएसएए ने राय दी कि इसकी आवश्यकता नहीं है और यथास्थिति कायम रखने पर सहमति जताई।

The chair replied that he is already extending the period for loading of containers beyond six months on receipt of a request and enquired whether it is necessary to issue a standing order. The CSAA opined that it is not necessary and agreed that status quo is to be maintained.

बिंदु 6 : निर्यात प्रोत्साहनों को प्रोसेस करने के लिए लाइसेंस सं.

Point 6: LICENCE NO. IN PROCESSING OF EXPORT INCENTIVES

श्री एन.एन. मेनन ने कहा कि प्रक्रिया पुस्तिका में फाइल संख्या के साथ लाइसेंस भेजने संबंधी एक प्रावधान है। अभी फाइल संख्या के साथ भेजने की सुविधा नहीं है और केवल लाइसेंस के ब्योरे भेजे जाते हैं। अगर इस संबंध में फाइल संख्या का उपयोग नहीं किया जाता है, तो क्या पुस्तिका में इससे संबंधित प्रावधान को बदलना चाहिए।

Shri. N. N. Menon said that there is a provision in the Handbook of Procedure for transmitting the licence with file number. Now that facility of transmitting with file no. is not there and only licence details are transmitted. If file no. is not used in this regard, should this provision in Handbook of Procedure be changed.

श्री डी. पॉल, सहायक आयुक्त ने सूचित किया कि अभी लाइसेंस ऑनलाइन भेजा जाता है और लाइसेंस संख्या की प्रविष्टि के बिना इसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा। जब सिस्टम ऑनलाइन नहीं था तब फाइल संख्या संबंधी पहले का प्रावधान बेकार था।

Shri. D. Paul, AC informed that now licence is transmitted online and the same will not be accepted without entering the licence number. The earlier provision regarding file no. was inoperable when the system was not online.

बिंदु 7 : भंडारण संबंधी नए विनियम

Point 7: NEW WAREHOUSING REGULATIONS

अध्यक्ष महोदय ने सभा को भंडारण संबंधी नए विनियमों के बारे में सूचित किया। उन्होंने कहा कि सभी वास्तविक नियंत्रण हटा दिए गए हैं। हर भंडारण आगम पत्र को एक विशेष संख्या दी गई है। "व्यापार करने की सुविधा" के भाग के रूप में ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि माल गोदामों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण वास्तविक नियंत्रण रख पाना बहुत मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय ने व्यापर जगत से यह भी अनुरोध किया कि वे नए भंडारण विनियमों को परख लें और इनके कार्यान्वयन में कोई कठिनाई आती है, तो उससे अवगत कराएं।

The chair informed the gathering about the new warehousing regulations. He said that all physical control is removed. Every warehousing bill of entry is given a unique number. This is done as part of "ease of doing business". He said that there are so many warehouses that it is difficult to have physical control. The chair also requested the trade to go through the new warehousing regulations and bring forward any difficulties faced in its implementation.

बिंदु 8 : रीफर कंटेनरों की निकासी में देरी - हो रही मुश्किलें

Point 8: DELAY IN CLEARANCE OF REEFER CONTAINERS- DIFFICULTIES FACED

श्री अलेक्स के. नैनान, सी फुड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अध्यक्ष महोदय को रीफर कंटेनरों की निकासी में हो रही देरी के कारण उनको होने वाली समस्याओं के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एफएसएसएआई और सिफ्ट दोनों नमूने लेते हैं। सिफ्ट से प्रमाणपत्र मिलने के बाद उन्हें इसे पशु संगरोध (एक्यू) से निकासी के लिए ऑनलाइन प्रस्तुत करना होता है और असल दस्तावेज़ चेन्नै ले जाने होते हैं। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो से पहले सिर्फ 10 दिन की देरी होती थी लेकिन सिंगल विंडो शुरू होने के बाद 25 दिनों तक की बहुत अधिक देरी होती है।

Shri. Alex K. Ninan, Sea Food Exporters Association of India appraised the chair the difficulty faced by them due to delay in clearance of reefer container. He said that both FSSAI and CIFT are taking samples. Once the CIFT certificate is received they have to submit online for clearance from Animal Quarantine (AQ) and they have to take original documents to Chennai. He said that before single window there was only 10 days delay and after single window there is considerable delay up to 25 days.

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी. की शुरुआत से पहले पशु संगराध के संबंध में परीक्षण केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईएफटी) द्वारा किया जाता था और उनसे प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर माल को आउट ऑफ चार्ज दिया जाता था। लेकिन एसडब्ल्यूआईएफटी की शुरुआत के बाद शीतीकृत/समुद्री उत्पादों के लिए दायर किए गए आगमपत्र चेन्नै में बैठे पशु संगरोध अधिकारियों को अग्रेषित किए जाने लगे। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि पशुपालन विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक परीक्षण करने के लिए सिफ्ट को भी प्राधिकृत किया है। तथापि, एसडब्ल्यूआईएफटी का कार्यकरण शुरू होने के बाद एक्यू ने सूचित किया कि सिफ्ट को निकासी देने की शक्तियां नहीं दी गई हैं और सारे माल को उनके द्वारा ही निकासी दी जानी है।

The chair said that prior to the commissioning of SWIFT the testing for the purpose of animal quarantine was conducted by CIFT and the goods were granted out of charge based on

reports received from them. But after SWIFT was introduced Bills of Entry filed for frozen/marine products started getting forwarded to AQ officers sitting at Chennai. The chair informed that CIFT was also authorised by Department of Animal Husbandry for conducting the necessary tests in this regard. However, after SWIFT started functioning AQ informed that CIFT is not empowered to give clearances and that all consignments would have to be cleared by them.

अध्यक्ष महोदय ने माना कि पिछले दो महीने के दौरान के आयात से पता चला है कि समुद्री माल की निकासी के लिए लिया गया औसत समय 8-10 दिनों से बहुत अधिक बढ़ कर 20 दिन हो गया है। अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचित किया कि इस मामले को एक्यूएस के साथ उठाया गया और उन्होंने सूचति किया है कि वे कोचिन में हफ्ते में दो दिन के लिए एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे। तथापि, एक्यूसीएस से इस संबंध में कोई पत्र-व्यवहार नहीं हुआ है और न ही किसी अधिकारी ने यहां रिपोर्ट की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले को बहुत जल्द संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाएगा।

The chair agreed that the exports during the last two months showed that the average time taken for clearance of marine consignment has increased considerably from 8-10 days to 20 days. It was further informed by chair that matter was taken up with AQ and they had informed that they would depute an officer to Cochin for two days in a week. However no communication was received from AQCS in this regard nor has any officer reported here. He assured that the matter will be taken up with the concerned authorities at the earliest.

श्री अलेक्स के. नैनान ने इसके अलावा यह भी सूचित किया कि उन्हें रीफर कंटेनर को कनेक्ट करने और वार्फ में रखने के लिए बहुत अधिक भुगतान करना पड़ता है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि उन्हें रीफर कंटेनरों को बंधक मालगोदामों में अपने परिसर में रखने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि रीफर कंटेनरों को -18 डिग्री तक ठंडा किया जाता है और इस स्थिति में कोई कीटाणु जीवित नहीं रहेंगे तथा उन्होंने कहा कि सी फुड निर्यातकों के पास माल गोदाम की सुविधा है।

Shri. Alex K. Ninan further informed that they have to pay heavily for connecting and keeping the reefer container in the wharf. He then requested the chair to allow them keep the reefer container in their premises in bonded warehouses. He said that the reefer containers are cooled to -18 degrees and no germs will be living in that condition and he said Sea Food Exporters have facility of warehouse.

एफएसएसएआई के अधिकारियों ने कहा कि जैव-सुरक्षा को तोड़ने के कारण ऐसा करना जोखिम भरा होगा। इस तापमान में कीटाणुओं के संक्रमण न होने पर भी वाइरस ज़िंदा रह सकते हैं।

Officials FSSAI said that the same is risky as it is breach to bio-security. Even if germs don't get transferred viruses will survive in that temperature.

सिफ्ट अधिकारियों ने इससे सहमति जताई और कहा कि ऐसे भी मामले हैं जब कुछ कन्साइन्मेंटों को जैव-सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

CIFT officials agreed to the same and said that there are instances where some of the consignments do not require bio-security.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि वे इस मामले को सीबीईसी के साथ अधिक सशक्त रूप से उठाएंगे ताकि समस्या को शीघ्र निपटाना सुनिश्चित किया जा सके।

Chair informed that he would take up the matter with CBEC Head Quarters more forcefully to ensure that the problem is resolved early.

चर्चा के लिए कोई अन्य बिंदु नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in पर सूचित की जाएगी। चर्चा हेतु यदि कोई मुद्दा हो तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई मेल ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com के माध्यम से की जा सकती है।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks. The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com

(डॉ. के.एन. राघवन Dr. K.N. RAGHAVAN)
आयुक्त COMMISSIONER

S.No. S 65/11/2015 – CCU Cus. Pt II
तारीख Dated: 20.06.2016
प्रस्तुत Submitted to:

The Chief Commissioner of Central Excise, Customs& Service Tax, Kerala Zone, Cochin.
The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :

Additional Commissioner
All D.Cs & A.Cs
All members